न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(24)

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1516–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–3–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन प्रकरण कमांक 187/अपील/2013–14.

विमलचन्द जैन पिता जडावचन्द जैन
निवासी गांधी चौक, बडनगर जिला उज्जैन .....आवेदक

विरूद्ध

बम एनक्लेव द्वारा
श्रीमती शशिकला पति पारसमल जैन
निवासी कवि कालीदास पथ
बडनगर जिला उज्जैन ..... अनावेदक

श्री नरेन्द्र छाजेड, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/8/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–3–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसीलदार बड़नगर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि कस्बा बडनगर स्थित भूमि सर्वे कमांक 404/1 (क) मिन 0.020 आरे आबादी के रूप में दर्ज होकर उस पर उसका मकान बना हुआ है, परन्तु पटवारी कागजात में बटा नम्बर अंकित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन भूमि का बटा नम्बर कायम कर पटवारी रिकार्ड खसरा बी–1 व नक्शे में दर्ज किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 47/अ–03/2011–12 दर्ज कर दिनांक 28–2–13 को आदेश पारित किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि का बटांकन स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी बडनगर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 26–3–2014 को आदेश पारित कर प्रथम

अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 10–3–2016 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के आदेश निरस्त किये गये एवं अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि पटवारी द्वारा विधिवत फर्द बटान तैयार की गई है और प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का मकान बना हुआ है और कब्जा भी आवेदक का ही है । इस आधार पर कहा गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत बटांकन आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई है, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में त्रुटि की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई है, परन्तु प्रकरण प्रत्यावर्तित नहीं करने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है, क्योंकि यदि अपर आयुक्त के मत में विधिवत बटांकन नहीं हुआ था, तब उन्हें प्रकरण तहसीलदार को विधिवत बटांकन करने हेतु प्रत्यावर्तित करना चाहिए था । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा अनावेदक के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र की सही विवेचना नहीं कर त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकालने में त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि कस्बा बडनगर स्थित सर्वे कमांक 404/1 (क) मिन रकबा 0.020 हेक्टेयर के बटांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर राजस्व निरीक्षक से फर्द बटान आमंत्रित की गई । राजस्व निरीक्षक द्वारा इस आशय का फर्द बटान प्रस्तुत की गई है कि प्रश्नाधीन भूमि रकबा 0.020 हेक्टेयर की बटान फर्द आवेदक के बताये अनुसार तैयार कर प्रस्तुत है ऐसी फर्द बटान जो किसी एक पक्षकार के कहने पर तैयार की गई हो, को तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया जाना पूर्णतः विधि के प्रावधानों के विपरीत होकर अन्यायपूर्ण कार्यवाही है,

इसलिए तहसीलदार का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । जहां तक अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का प्रश्न है, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी तहसीलदार के अवैधानिक आदेश की पुष्टि की गई है, इसलिए उनका आदेश भी स्थिर नहीं रखा जा सकता है । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को अवैधानिक ठहराया गया है, लेकिन बटान कार्यवाही पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया है । आवेदक द्वारा तर्क दिया गया है कि जो भूमि उसके पास शेष है, उस पर पूर्व से ही उसका मकान बना हुआ है और आवेदन पत्र में भी मकान बनाये जाने का उल्लेख है । उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से यह आवश्यकता है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे मौके पर स्वयं स्थल निरीक्षण कर यह देखें कि यदि किसी हिस्से पर आवेदक का मकान बना हुआ है, तो उसके स्वत्व के मान से आवेदक को वह हिस्सा दिया जावे, क्योंकि विक्रय पत्र से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा मकान का विक्रय नहीं किया गया है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–3–2016, अनुविभागीय अधिकारी बडनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–3–2014 एवं तहसीलदार बड़नगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–2–13 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में पुनः निराकरण हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर